

कार्यालय जिला कलक्टर (रसद), हनुमानगढ़

क्रमांक :-रसद/एफपीएस/विज्ञप्ति/2022/33633 दिनांक :- 15.03.2022

—: विज्ञप्ति :-

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत जिले में उचित मूल्य की रिक्त उचित मूल्य दुकानों के लिए इच्छुक एवं पात्र व्यक्तियों से राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3(1) के तहत प्राधिकार पत्र जारी किये जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

इस हेतु खाद्य विभाग के पत्रांक एफ.17(1)खा.वि./विधि/08 जयपुर, दिनांक 17.03.2016 द्वारा जारी उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के दिशा निर्देशों के तहत सशुल्क (100/- रुपये) आवेदन पत्र जिला रसद कार्यालय, हनुमानगढ़ से कार्यालय समय में प्राप्त किये जा सकते हैं। आवेदन पत्र दिनांक 21.03.2022 से 08.04.2022 तक दोपहर 02.00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं। आवेदन पत्र दिनांक 08.04.2022 तक सांय 04.00 बजे तक निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक दस्तावेजों सहित कार्यालय जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ में जमा करवाये जा सकेंगे। रिक्त उचित मूल्य की दुकानों का विवरण निम्नानुसार है :-


क्र० स०	तहसील	ग्राम पंचायत/वार्ड संख्या	विज्ञापित उचित मूल्य दुकानों की संख्या	आरक्षण की श्रेणी
1	हनुमानगढ़	भोमपुरा	1	सामान्य
2		माणुका	1	सामान्य
3		बनवाला	1	महिला
4		वार्ड नं० 27 (नगरपरिषद्)	1	महिला
5		वार्ड नं० 40 (नगरपरिषद्)	1	महिला
6	पीलीबंगा	गोलूवाला निवादान	1	सामान्य
7		रामपुरा	1	सामान्य
8		डींगवाला (भागसर)	1	महिला
9		अमरपुरा राठान (लुढाणा)	1	सामान्य
10		वार्ड नं० 2 (नगरपालिका)	1	सामान्य
11		वार्ड नं० 4 (नगरपालिका)	1	सामान्य
12		वार्ड नं० 6 (नगरपालिका)	1	सामान्य
13	वार्ड नं० 19 (नगरपालिका)	1	सामान्य	
14	टिब्बी	मल्लड़खेडा	1	महिला
15		खाराखेडा	1	सामान्य
16	नोहर	चक सरदारपुरा	1	महिला
17		सोतीबडी	1	सामान्य
18		ननाउ	1	सामान्य
19		धानसिया	1	सामान्य
20		जबरासर	1	महिला
21		दुर्जाना	1	सामान्य
22		मेघाना	1	सामान्य
23	रावतसर	वार्ड नं० 5 (नगरपालिका)	1	सामान्य
24		वार्ड नं० 10 (नगरपालिका)	1	सामान्य
25		वार्ड नं० 11 (नगरपालिका)	1	सामान्य
26		वार्ड नं० 15 (नगरपालिका)	1	सामान्य
27		वार्ड नं० 16 (नगरपालिका)	1	महिला


आवेदक की योग्यताएँ एवं शर्तें :-

आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में होगा, जिस पर आवेदनकर्ता का नवीनतम फोटो लगा होगा तथा एक फोटो अलग से आवेदन के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र केवल जिला रसद कार्यालय, हनुमानगढ़ से जारी किये जायेंगे। अन्य किसी स्थान यथा टाईपिस्ट, नोटेरी, बुक स्टोर से प्राप्त किये गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। एक आवेदन पत्र का मूल्य 100/- रु. निर्धारित है। जिला रसद कार्यालय, हनुमानगढ़ से आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क का डी.डी. अथवा भारतीय पोस्टल ऑर्डर जमा कराया जाकर प्राप्त किये जा सकेंगे।

3/ जिला कलक्टर (रसद)
हनुमानगढ़

1. शहरी क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदक के मामले में आवेदक उसी वार्ड का निवासी होना चाहिए, जिस वार्ड के उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरण करनी है अर्थात् उस उचित मूल्य दुकान की अधिकारिता क्षेत्र में स्थित वार्डों में से किसी एक वार्ड का निवासी होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान के मामले में आवेदक उसी पंचायत के किसी ग्राम या वार्ड का निवासी होना आवश्यक है, जिस पंचायत में उचित मूल्य दुकान स्थित है। (उचित मूल्य दुकान के क्षेत्र में निवासी होने के संबंध में प्रमाण पत्र स्वरूप राशनकार्ड/वोटर लिस्ट/मूल निवास/निर्वाचन आयोग का परिचय पत्र/आधार कार्ड/जनआधार कार्ड आदि में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत किया जा सकेगा। शहरी क्षेत्र हेतु वार्डों की नवीनतम स्थिति के अनुसार निवास प्रमाण पत्र आवश्यक है।
2. सभी श्रेणी के आवेदकों की आयु 21 से 45 वर्ष तक होनी चाहिए अर्थात् उचित मूल्य दुकान के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि को आवेदक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक की आयु आवेदन पत्र जमा कराने की तिथि तक उम्र 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। (उम्र के प्रमाण हेतु दसवीं की अंक तालिका/प्रमाण पत्र या अन्य अंक तालिका/प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि अंकित हो)
3. शैक्षणिक योग्यता सामान्य रूप से स्नातक उत्तीर्ण एवं कम्प्यूटर में न्यूनतम जानकारी राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आर.के.सी.एल.) या अन्य समकक्ष संस्थान का तीन माह का आधारभूत प्रशिक्षण होना चाहिए। यदि आवेदक कम्प्यूटर में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हो तो आवेदन के साथ आवेदक यह शपथ पत्र देगा कि चयनित होने के 06 माह की अवधि में प्रशिक्षण प्राप्त कर लेगा व ऐसे चयनित व्यक्तियों को प्रशिक्षण के बाद प्राधिकार पत्र दिया जायेगा। आवेदक समितियां/समूह निकाय होने पर संबंधित अध्यक्ष/सचिव/प्रबंधक को कम्प्यूटर दक्षता एवं शैक्षणिक योग्यताओं को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। इस बाबत प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। कम्प्यूटर प्रशिक्षण सम्बन्धी शिथिलता विभागीय आदेश दिनांक 29.09.2020 के तहत प्रदान की जावेगी।
4. आवेदक को आवेदन पत्र में अंकित घोषणाओं के संबंध में 50/- रुपये के स्टाम्प पर नोटेरी से सत्यापित शपथ पत्र देना होगा।
5. आवेदक स्वयं अथवा आवेदक की पति/पत्नी निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहीं होना चाहिए।
6. उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदन करने वाले पुरुष/महिला के दिनांक 01.01.2015 के बाद पैदा हुई सन्तान सहित 2 से अधिक सन्तान नहीं होनी चाहिए। दिनांक 01.01.2015 के पश्चात् 2 से अधिक सन्तान होने की स्थिति में व्यक्ति आवेदन का पात्र नहीं होगा।
7. प्रस्तावित दुकान का नक्शा साईट प्लान तथा रूट प्लान के साथ सही माप में दर्शा कर तीन प्रति में स्वप्रमाणित करके प्रस्तुत किया जावेगा। नक्शे में प्रस्तावित दुकान के आगे-पीछे व दायें-बायें स्थित भवनों/स्थानों/भूमि/सड़क का स्पष्ट विवरण दिशा ज्ञान के साथ अंकित किया जाना है। प्रस्तावित दुकान किराये की होने पर अनुबंध की प्रति/स्वयं की होने पर पट्टे की प्रति स्वप्रमाणित कर संलग्न की जावे। दुकान केन्द्रीय स्थल पर स्थित हो, ताकि उपभोक्ता आसानी से पहुंच सके। प्रस्तावित दुकान सुरक्षा एवं यातायात के साधन के दृष्टिकोण से उचित स्थान पर होनी चाहिए। आवेदक को प्रस्तावित दुकान के संबंध में अन्नपूर्णा भण्डार हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने होंगे, जिस हेतु प्रस्तावित दुकान 30 फिट सड़क पर स्थित होकर न्यूनतम 200 वर्गफीट की होना तथा दुकान का द्वार/शटर न्यूनतम 10 फिट गुणा 10 फिट को होना आवश्यक है।
8. संबंधित तहसीलदार द्वारा आवेदक के संबंध में जारी न्यूनतम 100000/- रुपये का मूल हैसियत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। (हैसियत प्रमाण पत्र छः माह से अधिक पुराना होने पर मान्य नहीं होगा)।
9. उचित मूल्य दुकान प्राधिकार पत्रधारी जिनके विरुद्ध गम्भीर अनियमितताएँ पाये जाने पर गत 10 वर्षों में प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया हो, तो ऐसे आवेदकों को उचित मूल्य दुकान आवंटित नहीं की जावेगी।




 जिला कलेक्टर (राज.)
 हनुमानगढ़

चयन के प्राथमिकता क्रम :-

-: प्रथम वरीयता :-

- (i) ग्राम सेवा सहकारी समिति/लेम्पस (वृहत्तर क्षेत्रीय बहुउद्देशीय सहकारी समिति)/दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति जो कि सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है।
- (ii) "महिला स्वयं सहायता समूह" जो राज्य सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग से चयनित अथवा मान्यता प्राप्त है तथा न्यूनतम 3 वर्ष कार्य का अनुभव हो।
- (iii) निगमित निकाय/ग्राम पंचायत।

- यदि आवेदक महिला स्वयं सहायता समूह है तो आवेदन पत्र के साथ संस्था का विधान पत्र तथा आवेदक के नाम आवेदन करने हेतु जारी प्रस्ताव पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी। उप निदेशक/सहायक निदेशक, महिला बाल विकास से चयनित अथवा मान्यता प्राप्त होने का प्रमाण पत्र मय तीन संपरीक्षा (ऑडिट रिपोर्ट) में गम्भीर अनियमितता नहीं होने का प्रमाण पत्र तथा समूह की वित्तीय हैसियत के संबंध में उनकी अंश पूंजी विवरण, कार्यशील पूंजी विवरण तथा वार्षिक कुल राशि का विवरण एवं विगत दो वित्तीय वर्ष व चालू वर्ष के बैंक खाते का स्टेटमेन्ट की प्रति मय उपनिदेशक/सहायक निदेशक की अभिशंषा संलग्न करनी होगी।
- यदि आवेदक सहकारी समितियां हैं जो कि सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हो, तो आवेदन पत्र के साथ संस्था का विधान पत्र तथा आवेदक के नाम आवेदन करने हेतु जारी प्रस्ताव पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी। सहायक पंजीयक/उप पंजीयक से मान्यता प्राप्त होने का प्रमाण पत्र मय तीन संपरीक्षा (ऑडिट रिपोर्ट) में गम्भीर अनियमितता नहीं होने का प्रमाण पत्र तथा समूह की वित्तीय हैसियत के संबंध में उनकी अंश पूंजी विवरण, कार्यशील पूंजी विवरण तथा वार्षिक कुल राशि का विवरण एवं विगत दो वित्तीय वर्ष व चालू वर्ष के बैंक खाते का स्टेटमेन्ट की प्रति मय सहायक पंजीयक/उप पंजीयक की अभिशंषा संलग्न करनी होगी।

-: द्वितीय वरीयता व्यक्तिगत :-

(प्रथम वरीयता में आवेदन उपलब्ध नहीं होने पर)


- (1) निःशक्त जन
- (2) महिलाएँ (i) शहीद की विधवा (वीरांगना) (ii) विधवा (iii) परित्यक्ता
- (3) भूतपूर्व सैनिक
- (4) अन्य पात्र बेरोजगार

- निःशक्त जन को स्वास्थ्य विभाग का प्रमाण पत्र या समाज कल्याण विभाग का प्रमाण पत्र, वीरांगना को सेना द्वारा जारी प्रमाण पत्र, विधवा परित्यक्ता को संबंधित विभाग का प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक को सेना से डिस्चार्ज होने का प्रमाण पत्र बेरोजगार को एम्प्लॉयमेन्ट एक्सचेंज का पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करनी आवश्यक होगी।
10. द्वितीय वरीयता के अन्तर्गत चयनित उचित मूल्य दुकानदार की कार्य करने की अधिकतम सीमा 60 वर्ष की आयु तक होगी।

11. सभी आवेदकों को दो राजपत्रित अधिकारियों के चरित्र प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करने होंगे।

उपरोक्त रिक्तियों के संबंध में विभागीय पत्रांक एफ.17(1)खा.वि/विधि/08 जयपुर दिनांक 17.03.2016 और समय-समय पर जारी संशोधन आदेश दिनांक 06.04.16, 26.04.16, 22.07.16, 04.07.17, 26.09.17, 28.09.18, 29.07.19, 14.11.19, 26.12.19 और 25.11.20 के द्वारा जारी उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के दिशा निर्देशों में वर्णित चयन प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही की जावेगी। पत्र क्रमांक दिनांक 17.03.2016 और समय-समय पर जारी संशोधन आदेश के संबंध में विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट <https://food.raj.nic.in> व जिला रसद कार्यालय, हनुमानगढ़ में अवलोकन हेतु उपलब्ध है।

उक्त रिक्तियों में कमी/बढ़ोतरी/संशोधन कार्यालय द्वारा किया जा सकता है। तथा रिक्तियों को भरने/ना भरने के संबंध में कार्यालय का निर्णय सुरक्षित रहेगा।




2
जिला फूड ऑफिसर (रसद)
हनुमानगढ़

क्रमांक :-सम/2022/33634-649
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ :-

दिनांक :- 15.03.2022

1. श्रीमान् शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान् अतिरिक्त खाद्य आयुक्त खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. श्रीमान् सम्भागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर।
4. श्रीमान् उपायुक्त एवं उपशासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर।
5. ए.सी.पी./प्रोग्रामर खाद्य विभाग, जयपुर उक्त विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाईट food.raj.nic.in पर अपलोड करवाने बाबत्।
6. माननीय सांसद महोदय जिला गंगानगर/चुरू।
7. माननीय विधायक महोदय, विधानसभा क्षेत्र, हनुमानगढ़/संगरिया/पीलीबंगा/नोहर।
8. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, हनुमानगढ़।
9. उप निदेशक (ए0सी0पी0) सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग हनुमानगढ़।
10. उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ़/संगरिया/टिब्बी/पीलीबंगा/नोहर/रावतसर।
11. विकास अधिकारी, हनुमानगढ़/संगरिया/टिब्बी/पीलीबंगा/नोहर/रावतसर।
12. उप रजिस्ट्रार सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, हनुमानगढ़ को जिले की वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
13. सहकारी समितियां, हनुमानगढ़।
14. उप निदेशक महिला अधिकारिता विभाग, हनुमानगढ़।
15. प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक हनुमानगढ़/संगरिया/टिब्बी/पीलीबंगा/नोहर/रावतसर।
16. कार्यालय हाजा/रक्षित पत्रावली/आंवटन शाखा।


जिला कलेक्टर (रसाद)
हनुमानगढ़